<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>05.06.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी के मामले में शामिल मेसर्स चडालावाडा इंफ्राटेक लिमिटेड (सीआईएल) और अन्य लोगों के खिलाफ 03.06.2024 को हैदराबाद और ओंगोले (आंध्र प्रदेश) में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया |

मेसर्स चडालावाडा इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक चडालावाडा रवींद्र बाबू और अन्य द्वारा धन की हेराफेरी और विपथन, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप लगभग 166.93 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धन की हानि के लिए भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद ने ऋण धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत की जिसपर सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। सीआईएल, जो एक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के रूप में बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन में लगा हुआ था, ने ऋण राशि के प्रमुख हिस्से को उस उद्देश्य के इतर डायवर्ट कर दिया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

ईडी जांच से पता चला कि सीआईएल भारतीय स्टेट बैंक से फंड आधारित और गैर-निधि-आधारित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाकर क्रेडिट सुविधाओं का उपभोग कर रहा था; और इसके निदेशकों ने दूसरों के साथ साजिश रची और ऋण निधियों का दुरुपयोग किया और विभिन्न तरीके नियोजित करके इसे विपथित किया- जैसे क्रेडिट लेनदेन का समायोजित पत्र, इक्विटी निवेश के रूप में धन की राउंड ट्रिपिंग, कर्मचारियों /निदेशक और उनके परिवार के सदस्य के खातों में ऋण राशि का विपथन (डायवर्जन)आदि। जांच से पता चला कि साख पत्र का बड़ा हिस्सा बिना किसी अंतर्निहित व्यवसाय के रिश्तेदारों और कर्मचारियों के नाम पर खोली गई संस्थाओं को जारी किया गया था। इस तरह, बड़ी मात्रा में धन का विपथन (डायवर्ट)किया गया। विपथित (डायवर्टेड) फंड में से, तीसरे पक्ष, निदेशकों और परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियाँ अधिग्रहित की गई थी |

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को बरामद और जब्त किया गया, जिन पर अपराध की आय से प्राप्त होने का संदेह है। इसके अलावा, अपराध संकेती दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच चल रही है।